राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जायल केम्प कोर्ट , कठौती जिला नागौर।

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

प्रार्थना–पत्र संख्या:– 166 / 13 दायर दिनांक:– 03.01.2013

1– प्रभुराम पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी शिवनगर तह.जायल जिला नागौर।

..........................प्रार्थी

बनाम

1– रेंवतराम पुत्र बगसाराम जाति नायक निवासी रोहिणा तह.जायल जिला नागौर।
2– धनाराम पुत्र मोहनराम जाति नायक निवासी शिवनगर तह.जायल जिला नागौर।
3– शंकरराम पुत्र मोहनराम जाति नायक निवासी शिवनगर तह.जायल जि. नागौर।
4– सोहनीदेवी पत्नि जयकिशन जाति जाट नि. शिवनगर तह.जायल जि.नागौर।
5– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री जीयाराम गौदारा प्रार्थी की और से।
2. श्री मुन्नीलाल कङवासरा अप्रार्थी 02 की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 14.05.2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम शिवनगर का निवासी है ग्राम शिवनगर के खेत खसरा नम्बर 420 रकबा 20 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है। जिस के दक्षिण दिशा में खेत खसरा नम्बर 418, 417 व 410 आये

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

हुए है इन खेतों के दक्षिण दिशा में कटाणी रास्ता है। मुझे मेरे खेत में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के अनुशार चौडाई में 10 फुट के रास्ते की खसरा नम्बर 420 में आने जाने के लिये आवश्यकता है। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से काश्त करने में भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते बाबत कहने पर मना करने पर प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस से मुझे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का तहसीलदार जायल को आदेश प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन किया जा रहा है। इस भूमि में आने–जाने के लिये मौजा शिवनगर के खसरा नम्बर 410, 417, 418 में से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क अ से बी पर 10 फुट चोडा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित खातेदार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी 01,03,04 व 05 बावजूद तामिल के गैर हाजिर रहने के कारण इन के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी स. 02 की ओर से मुन्नीलाल कडवासरा ने वकालतनामा पेष किया। जवाव हेतु बार–बार अवसर देने के उपरान्त भी वकील अप्रार्थी ने जावब पेश नहीं किया जिस के कारण इन का जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से जॉच रिपोर्ट व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र दिनांक 11.05.2018 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी को मौजा शिवनगर के खेत खसरा नम्बर 1009/410, 417, 1057/418, 1059/418 व 418 में से रास्ता दिया जा सकता है इस से नजदीक ओर कोई रास्ता नहीं लगता है ओर इस के अलवा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है।

बहस सुनी गयी। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

15/5/18
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र को गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

पत्रावली व तहसीलदार जायल के द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ठ हुआ कि प्रार्थी के द्वारा मौजा शिवनगर के खेत खसरा नम्बर 410, 417 व 418 में से रास्ता चाहा है। रास्ता चाहे गये खसरान के संबंध में तहसीलदार जायल के द्वारा दिनांक 11.05.18 को प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ठ होता है कि खसरा नम्बर 410 का एक नया खसरा नम्बर 1009/410 बन गया है तथा खातेदार भंवरलाल, कन्हैयालाल, रतनलाल पि0 भैरूराम जाति नाई है जिन को प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी के द्वारा निर्धारित प्रकिया अपनाकर पक्षकार भी नहीं बनाया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 418 के दो नये खसरा नम्बर 1057/418 व खसरा नम्बर 1059/418 बन गये है तथा इन खसरान के खातेदार शंकरलाल व मोहनीदेवी है। मोहनी देवी को प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी के द्वारा निर्धारित प्रकिया अपनाकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिस के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

14/5/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 14.05.18 को सुनाया गया।

14/5/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner